OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur./ 154 **Dated:-** 20/07/11

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sir,

Audit Report No. **214/11-12** on the accounts of **Nagar Parishad, Chapra** for the period **from 2008-09 to 2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,

20/7/11

Sr. Audit Officer/Surcharge

Encl:- As above

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 214/2011–12
नगर परिषद छपरा

प्रस्तावना :–

नगर परिषद छपरा के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 09–10 तक के लेखाओं की नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा–परीक्षा दल द्वारा दिनांक 4.03.11से 26. .03.11 की अवधि में किया गया।

प्रशासन :–

क0 सं0	नगर कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
(i)	श्री देवेन्द्र कुमार सविता	दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 22.09.08 तक
(ii)	श्री विजय कुमार ठाकुर	दिनांक 22.09.08 से दिनांक 28.02.09 तक
(iii)	श्री अजय कुमार	दिनांक 28.02.09 से दिनांक 12.08.09 तक
(iv)	श्री विजय कुमार ठाकुर	दिनांक 12.08.09 से दिनांक 27.08.09 तक
(v)	श्री रब्बान अहमद मलिक	दिनांक 27.08.09 से दिनांक 31.03.10 तक
(2)	**अध्यक्ष का नाम**	**अवधि**
(i)	श्रीमति गायत्री देवी	दिनांक 01.04.08 से दिनांक 07.07.09 तक
(ii)	श्रीमति शोभा देवी	दिनांक 31.07.09 से दिनांक 31.03.10 तक
3	**उपाध्यक्ष का नाम**	**अवधि**
(i)	श्री रामा कान्त सिंह	दिनांक 01.04.08 से दिनांक 31.03.10 तक

2. **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्रः–**

लेखा परीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना जांच की गयी अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट I पर तथा असंधारित या अनुपलब्ध अभिलेखों एंव पंजियों की सूची परिशिष्ट I (क) पर दिया गया है।

3. आंतरिक अंकेक्षण :–

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धार 97 के आलोक मे राज्य सरकार अथवा नगरपालिका अपने दैनन्दिन लेखा की आंतरिक लेखा परीक्षा का उपबंध विदित रीति से कर सकेगी, लेकिन अभीतक आंतरिक लेखा परीक्षा का उपबंध नगरपालिका में नही किया गया था।

यधपि, बिहार पालिका नियमावली 1928 के नियम 20, 30, 64, 66 एवं 126 में एवं बिहार नगरपालिका नियमावली (कर वसूली) के नियम 30, 31, 37 एवं 39 में आंतरिक जांच का प्रावधन किया गया है, लेकिन अंकेक्षण कम में

(181)

पाया गया कि विदित नियमों के अनुसार अभिलेखों एवं पंजियों का जांच किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप लेखाओं के संधारण में त्रुटिया एंव संगृहित राशि जमा नही पाया गया तथा अन्य वित्तीय अनियमिताएं पायी गयी, जिसका वर्णन संबंधित कंडिकाओं में दिया गया है। नगर परिषद प्रशासन का ध्यान विशेष रूप इस ओर आकृष्ट कराते हुए सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त नियमों के उपबंध के अनुरूप नियमित रूप से अभिलेखों एवं पंजियों की जांच सक्षम पदाधिकारियों द्वारा करवाया जाय ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमिताएँ न होने पावें।

4. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनो की स्थिति :–

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति निम्न प्रकार हे

क्रमांक	अंकेक्षण प्रतिवदेन की संख्या	बकाया कंडिका	निस्तारति कंडिका	बकाया कंडिका
1	101/75–76	68	----	68
2	182/77–78	61	----	61
3	92/80–81	44	----	44
4	130/81–82	45	----	45
5	196/82–83	22	----	22
6	30/84–85	27	----	27
7	38/87–88	44	----	44
8	194/87–88	30	----	30
9	81/88–89	33	----	33
10	93/97–98	67	----	67
11	9/2001–02	42	----	42
12	415/2008–09 (वास्ते 2005–06 से 2007–08 तक)	58	----	58

अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित अंकेक्षण आपतियों के निस्तारण हेतु स्थानीय निकाय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। अनुपालन प्रतिवेदन के अभाव में आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो सका। लगातार अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपतियों कें निस्तारण हेतु अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया था लेकिन इसका प्रभाव स्थानीय निकाय पर न पड़ा। अनुपालन प्रतिवेदन के अभाव में अनियमितताएँ यथावत् रही।

नगर परिषद प्राधिकारियों से अनुरोध है कि लेखा परीक्षा प्रतिवदेनों मे संनिहित कंडिकाओ का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब कार्यवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवदेन तैयार कर निष्पादन हेतु स्थानीय लेखा परीक्षक विहार, पटना कार्यालय को प्रेषित किया गया।

5. अंकेक्षण की मुख्य उपलब्धियॉ :–

क्रमांक	विवरण :–	कंडिका संदर्भित
1	बजट नहीं बनाया जाना	11
2	अनुदान पंजी संधारित नहीं	12
3	कर मूल्यांकन का पुनरीक्षण नहीं	15
4	शिक्षा उपकर ₹4,91,267 एवं स्वास्थ्य उपकर ₹491267 को राज्यकीय कोष में जमा नहीं किया जाना	21
5	सरकारी भवनों के विरूद्ध गृहादिकर का बकाया ₹ 2222202.00	20
6	संगृहीत राशि ₹1016,893 का रोकड़ पाल द्वारा जमा नहीं	16

7	चेक की राशि ₹337157 को नकदीकरण नहीं कराया गया	18
8	कार्य शुरू न करने पर भी अग्रिम राशि ₹ 132500 का वापस न किया जाना	23(ii)&(iii)
9	योजना सं 4/07–08 में अधिक भुगतान ₹ 64594	27
10	योजना सं 8/07–08 में अधिक भुगतान ₹ 58267	28
11	योजना सं 9/07–08 30में अधिक भुगतान ₹82843	29
12	चापाकल गाड़ने में ₹ 5,44682 का अधिक व्यय	30
13	बकाया अग्रिम राशि ₹62,40,700	36

उपरोक्त अनियमितताओं को संबंधित कंडिकाओं में विशेष रूप से वर्णित किया गया है।

6. **(i) पी0 एल लेखा की वित्तीय स्थिति** :–

वार्षिक लेखा नगर परिषद द्वारा तैयार नही किया गया था। वार्षिक लेखा के अभाव में शीर्षवार प्राप्ति एंव भुगतान ज्ञात नहीं हो सका।

रोकड़ बही के आधार पर वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में प्राप्ति एवं भुगतान का सार निम्नवत है।

वर्ष 2008–09	
प्रारंभिक शेष 1.04.08 को	₹ 2,24,75,628
प्राप्ति	₹ 2,31,02392
योग	₹ 4,55,78020
भुगतान	₹3,24,80639
संवरण शेष दिनांक 31.03.09 को	₹ 1,30,97381
वर्ष 2009–10	
प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.09	₹ 1,30,97,381
प्राप्ति	₹ 3,5816640
योग	₹ 4,8914021
व्यय	₹ 2,7836323
संवरण शेष दिनांक 31.03.10	₹ 2,1077698

कोषागार पासबुक अनुपलब्ध रहने के कारण संवरण शेष का मिलान नही किया जा सका। कोषागार पास बुक के अभाव में प्राप्ति एवं निकासी की भी जांच नही हो सकी। फलस्वरूप, किसी भी वित्तीय अनियमितताओ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कोषागार से पासबुक उपलब्ध करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

6. **(ii) लेखापाल रोकड़ बही** :–

लेखापाल रोकड़ बही का संधारण भलीभांति नहीं किया गया था। प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष भी नहीं निकाला गया था। नहीं भुनाए गये चेक की सूची भी प्रत्येक माह के अंत में अंकित करना चाहिए था, जिसे नहीं किया गया था। वर्ष 2009–10 में प्रत्येक माह को योग भी नहीं किया गया था, उसे अंकेक्षण के दौराण कराया गया था।

7. **(i)** स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:–

(185

वर्ष 2008–09	(₹ में)
प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.08 को	7,53,403.00
वापसी के रूप में प्राप्ति	21,875.00
योग	7,75,278.00
भुगतान / व्यय	2,43,942.00
संवरण शेष दिनांक 31.03.09 को	5,31,336.00
वर्ष 2009–10	**(₹ में)**
प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.09 को	5,31,336.00
प्राप्ति	1,69,64,789.00
योग	1,7496125.00
व्यय	59,07,450.00
संवरण दिनांक 31.03.10 को	1,15,88,675.00

7. (ii) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाः–

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना रोकड़ बही का संधारण भली भांति नही किया गया था। रोकड़ बही के संवरण शेष एवं बैंक खाता के संवरण शेष का समाधान नहीं किया गया था। नहीं भुनाये गये चेक की राशि की सूची प्रत्येक माह के अंत में अंकित नहीं किया गया था। लेखा का संव्यवहार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया हथुबा मार्केट छपरा खाता संख्या 1495769869 से हुआ था। बैंक पास बुक / बैंक स्टेमेन्ट दिनांक 10.06.09 के पूर्व अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस अवधि का संव्यवहार की जांच न हो सका।

	(राशि ₹ में)
संवरण शेष रोकड़बही का दिनांक 31.03.10 को	1,15,88,675.00
बैंक खाता सं0 1495769869	1,59,74,809.00
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को अंतर	43,86,134.00

उपरोक्त रोकड़ बही के संवरण शेष एवं बैंक खाता के संवरण शेष के अतर का समाधान किया जाय एवं उसे अगले अंकेक्षण में जांच हेतु उपस्थापित किया जाय।

8. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम :–

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (N.S.D.P.) रोकड़ बही का संधारण भली भांति नहीं किया गया था। तीन रोकड़ बही संधारित किया गया था। विभिन्न बैंको हेतु संधारित रोकड़बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्नवत् थे।

(i) युनियन बैंक के अनुसार :–

प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.08	₹ 8,68,428.00
प्राप्ति	शून्य
योग	₹ 8,68,428.00
व्यय	₹4,69,443.00
संवरण शेष दिनांक 31.03.09 को	₹ 3,98,985.00
युनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0 393902010006089 पुराना खाता सं0 6085 के अनुसार संवरण शेष दिनांक 31.03.09 को	₹ 6,21,952.00
अंतर	2,22,967.00

2009–10 में संव्यवहार नहीं था।

युको बैंक के अनुसार :–

प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.08	₹ 41,71,653
प्राप्ति	₹ 80,308
योग	₹ 42,51,961
व्यय/भुगतान	₹6,16,299
संवरण शेष	₹ 36,35,662

प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.09	₹ 36,35,662.00
प्राप्ति	शून्य
योग	₹ 36,35,662.00
भुगतान/व्यय	₹ 6,68,300.00
संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	₹ 29,67,362.00
युको बैंक छपरा खाता सं0 003059	₹ 30,03,854.00
अंतर	₹ 36492.00

बैंक पासबुक में दिनांक 09.09.08 से दिनांक 15.01.10 तक का प्रविष्टि अंकित नहीं था।

पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार :–

रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 01.04.08 को संवरण शेष	₹ 1,53,673.00
पंजाब नेशनल बैंक हथुवा मार्केट छपरा खाता सं0 0097000100312805	₹ 1,59,098.00
अंतर	₹ 5,425.00

वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में संव्यवहार नहीं किया गया था। उपरोक्त तीनो रोकड़बही के संवरण शेष को एक रोकड़ बही में संधारित किया जाय एवं एक बैंक में ही राशि को अंतरित किया जाय।

8. **(i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की वित्तीय स्थिति :–**

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 का प्राप्ति एवं भुगतान नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष 2008–09

प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.08 को	शून्य
प्राप्ति	₹ 94,93,000.00
योग	₹ 94,93,000.00
भुगतान	₹ 19,50,000.00
अंतरित राशि	₹ 73,37,357.00 चेक सं0 0162602 दिनांक 14.03.09 के द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास कार्य प्रमंडल–2 छपरा की अंतरित
योग	₹ 92,87,357.00
संवरण शेष दिनांक 31.03.09 को	₹ 2,05,643.00

(183)

वर्ष 2009–10

प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.09 को	₹ 2,05,643.00	
प्राप्ति	₹ 69,96,000.00	
वापस श्री एल0 के0 श्रीवास्तव के द्वारा	₹ 3,00,000.00	10,19,808
कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास कार्य प्रमंडल–2 छपरा	₹7,19,808.00	
योग	₹ 82,21,451.00	
व्यय	₹ 8,95,000.00	
संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	₹ 73,26,451.00	

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए बैंक खाता संख्या 393902010010361 खेला गया था जिसमें दिनांक 31.03.10 को ₹ 77,34,578 था। (बैंक खाता में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अंकित नहीं था। युनियन बैंक ऑफ इंडिया, सलेमपुर, छपरा, कार्यापालक पदाधिकारी नगर परिषद छपरा मात्र अंकित था।) चेक संख्या 640355 दिनांक 23.01.10 द्वारा ₹ 79,98,992 जिला परिषद, छपरा से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत प्राप्त हुआ था, जिसे युनियन बैंक ऑफ इंडिया, सलेमपुर छपरा में जमा न कर के यूको बैंक छपरा खाता सं0 002847 में जमा किया गया था जिसमें एम0एल0ए0 एवं एम0एल0सी0 की राशि रखी गयी थी। उक्त राशि बैंक में दिनांक 06.02.10 को जमा किया गया था। लेकिन रोकड़ बही एम0एल0ए0 / एम0एल0सी0 में दिनांक 06.07.10को प्राप्ति पक्ष में अंकित किया गया था। उपरोक्त राशि को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से संबंधित बैंक में जमा न करने से रोकड़ बही में उतनी राशि कम अंकित हुई।

अतः उपरोक्त राशि को ब्याज सहित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में अतरित किया जाय।

9. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही :–

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़ बही का संधारण भली भाति नही किया गया था। प्रत्येक माह के अंत में नहीं भुनाये गये चेक की सूची अंकित नहीं की गयी थी। बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि ₹ 4,08,127 को रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड बही के संवरण शेष एवं बैंक के संवरण शेष में अंतर था।

रोकड़ बही के अनुसार संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	₹ 73,26,451.00
ब्याज की राशि	₹ 4,08,127.00
योग	₹ 77,34,578.00
बैंक खाता सं0 393902010010361 युनियन बैंक ऑफ इंडिया सलेमपुर, छपरा संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	₹ 77,34,578.00

10. एम0एल0ए0 / एम0एल0सी0 फंड की वित्तीय स्थिति :–

रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 के प्राप्ति एवं व्यय का सार नीचे दिया जाता है:–

वर्ष 2008–09	**(₹ में)**
प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.08 को	1,47,999.00
प्राप्ति	शून्य
योग	1,47,999.00
व्यय	87,487.00
संवरण शेष दिनांक 31.03.09 को	60,512.00
वर्ष 2009–10	**(₹ में)**

प्रारंभिक शेष	60,512.00
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की राशि	79,98,992.00
योग	80,59,504.00
व्यय	शून्य
संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	80,59,504.00

रोकड़बही में अंकित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की राशि ₹ 79,98,992.00 को सूद सहित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के बैंक खाता में अंतरित किया जाय।

10. **(i) रोकड़ बही :–**

एम0एल0ए0 / एम0एल0सी0 रोकड़ बही का संधारण भली भांति नहीं किया गया था। प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के संवरण शेष के साथ बैंक लेखा के संवरण शेष का समाधान नहीं किया गया था। निम्नलिखित राशियों को रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया था।

दिनांक 07.07.08 को प्राप्त व्याज की राशि	₹ 2151.00
बचत लेखा 3036 की राशि	₹ 60,682.00
09.09.08 का व्याज	₹ 443.00
कुल –	**₹ 63,276.00**

रोकड़ बही में सुधार किया जाय एवं ₹ 63,276 को प्राप्ति पक्ष में अंकित किया जाय।

संवरण शेष रोकड़ बही का 31.03.10 को	₹ 80,59,504.00
बैंक खाता के अनुसार 31.03.10 को युको बैंक छपरा खाता सं0 16340100002847	₹ 81,29,006.00
अंतर	₹69,502.00

रोकड़बही के शेष एवं बैंक खाता के शेष के अंतर ₹ 69502.00 का समाधान किया जाय।

11. **बजट तैयार नहीं किया जाना :–**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए नगरपालिका अनुसूची सहित प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका के आय–व्यय का प्राक्कलन होगा। मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथासम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। पुनः धारा 84 के प्रावधानुसार बजट प्राक्कलन और इसपर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि है, पर विचार कर प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी, जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट प्राक्कलन स्थानीय निकायों के निदेशक को प्रस्तुत करेगी, जिसे उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जायेगी।

परन्तु नगर परिषद छपरा द्वारा वर्ष 08–09 एवं वर्ष 09–10 का बजट प्राक्कलन नहीं किया गया। जबकि अधिनियम के धारा 75 के अनुसार नगरपालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा जबतक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो। अतः वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में बिना बजट बनाये किया गया कुल व्यय बजट द्वारा प्राधिकृत

नहीं था। बजट तैयार नहीं किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। भविष्य में इसे बनाये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रयास किया जाय।

12. सरकारी अनुदान (वर्ष 2008–09 से वर्ष 2009–10):–

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किये जाने के कारण लेखा वर्ष के प्रारम्भ में अव्यवहृत अनुदान, वर्ष भर प्राप्त तथा उपयोग किये गये अनुदान एवं वर्ष के अन्त में अव्यवहत अनुदान की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सका। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

यद्यपि, पी0एल0खाता हेतु संधारित रोकडबही के अनुसार, वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुए:–

क0 सं0	तिथि	स्वीकृतियादेश पत्र सं0 / तिथि	राशि (₹)	उद्देश्य
1	03.05.08	1536 / 25.03.08	44,95,900	मैचिंग ग्राण्ट
2	,,	1677 / 27.03.08	2163041	द्वादश वित्त (वर्ष 07–08)
3	,,	1711 / 29.03.08	2,46,008	चापाकल (एम0एल0सी0)
4	24.10.08	4968 / 19.09.08	2,50,000	कम्प्यूटराइजेशन
5	,,	4535 / 29.08.08	1,71,600	सदस्यों को नियत भत्ता (08–09)
6	,,	5207 / 01.10.08	93,86,736	वेतन (वर्ष 2008–09)
7	26.05.09	चेक सं0 766544 / 19.02.09	3,30,000	कबीर अंत्येष्टि
8	26.06.09	130 / 28.05.09	35,61,635	स्टाम्प ड्यूटी
9	सितम्बर 09	चेक सं0 166596 / 29.06.09	12,000	कबीर अन्त्येष्टि
10	,,	,, 268099 / 29.08.09	3,96,000	,,
11	20.10.09	–	52,05,108.86	स्टाम्प ड्यूटी
12	दिसम्बर, 09	चेक सं0 268124 / 15.12.09	3,30,000.00	कबीर अन्त्येष्टि
13	मार्च, 10	59 / 05.03.10	69,22,015	वेतन
14	,,	28 / –	35,68,013	द्वादश वित्त आयोग
15	,,	26 / 16.03.10	54,27,433	मैचिंग ग्राण्ट
16	,,	41 / 25.03.10	35,68,013	द्वादश वित्त
17	,,	1420 / 16.03.10	1,71,600	मुख्य पार्षद / उपमुख्य पार्षद का मासिक भत्ता

उपरोक्त अनुदान से संबद्ध स्वीकृत्यादेश पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय प्रतिवेदन, भौतिक / वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसकी वास्तविक उपयोग की जॉच नहीं की जा सकी। उपरोक्त सभी कागजात अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

13. द्वादश वित्त आयोग :–

वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत नगर परिषद, छपरा द्वारा निम्न राशियॉ प्राप्त हुई:–

वर्ष	स्वीकृत्यादेश पत्र सं0	राशि (₹)
वर्ष – 2008–09		
1	1617 / न0वि0वि0 / 27.03.08	21,63,041
	कुल –	**21,63,041**

वर्ष – 2009–10		
1	1338/„ /17.03.10	35,68,013
2	41 / „ /25.03.10	35,68,013
	कुल –	**71,36,026**

स्वीकृत्यादेश पत्र के अनुसार उपरोक्त प्राप्त राशि का व्यय निम्न प्रकार होगा :–

(I) 50% – स्वीकृत राशि का 50% राशि ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर, जिसके अन्तर्गत अपशिष्टों का संग्रहण, पृथ्कीकरण और परिवहन इत्यादि कार्य शामिल है।

(II) शेष 50% में से:–

(ii) 1% नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्धि/सृजन पर

(III) न्यूनतम 1 से 3% ई – गर्वनेन्स पर

(IV) शेष 46% राशि नागरिक सुविधाओं/सेवाओं को बनाये रखने से संबंधित योजनाओं/ कार्यकमों पर व्यय होगी।

कार्णाकित राशि निम्न प्रकार थी :–

वर्ष	ठोस अपशिष्ट (50%)	नगर प्रबंधको पर (1%)	ई – गवनेन्स (3%)	नागरिक सुविधाऑ (46%)
2008–09	10,81,521	21630	64891	9,94,999
2009–10	35,68,013	71360	2,14,081	32,82,572

व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत निम्न व्यय हुआ:–

	वर्ष 2008–09 (₹)	वर्ष 2009–10 (₹)
योजना अग्रिम	16,00,000	
व्यय	1076,728	
कुल –	26,16,728	88,664
डीजल/टेलर पेलोडर/ट्रेक्टर आदि पर व्यय-अग्रिम	3,50,000	13,00,000
व्यय	1086956	–
कुल –	14,36,956	13,00,000
व्हील बेरो तथा साईकल रिक्शा कय	5,53,976	–
सुमो भाड़ा तथा कैशियर को अग्रिम	45,400	–
कुल व्यय	46,53,060	13,88,664

लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

1. दिशा निर्देशानुसार, न्यूनतम 50% राशि का उपयोग ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन पर व्यय करना था जिसमें अपशिष्टों का संग्रहण, पृथ्कीकरण तथा परिवहन इत्यादि सम्मिलित था। परन्तु नगर परिषद द्वारा वर्ष भर में मात्र डीजल कय, ट्रेक्टर/टीपर/ पेलोडर आदि के मरम्मति पर ही व्यय किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगर परिषद् द्वारा क्या प्रयास किया गया जा रहा है अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।
2. नगर प्रबन्धन की क्षमता वृद्धि तथा ई– गवनेन्स पर कोई व्यय नहीं किया गया।
3. सरकार को भेजा गया उपयोगिता प्रमाण पत्र यदि है, प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. कर्णाकित राशि का मदवार व्यय प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

(180)

5. अभिश्रव सं0 149/दिनांक 20.08.08 के द्वारा ₹ 40,000 कैशियर को अग्रिम तथा ₹ 5400 पटना से छपरा जाने तथा आने का सुमो का भाडा भुगतान किया गया। किस उद्देश्य से अग्रिम लिया, दर्ज नही था न हीं अभिश्रव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा सुमों से यात्रा किया गया दर्ज नहीं था। द्वादश वित्त आयोग मद से उपरोक्त व्यय किये जाने को स्पष्ट किये जाने तक उपरोक्त राशि ₹ 45,400 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

14. द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत योजना की स्थिति :–

द्वादश वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति निम्न थी:–

क0	यो0 सं0	यो0 का नाम	प्रा0 रा0	व्यय	मापी की राशि/तिथि	कार्य स्थिति	अभिकर्त्ता
वर्ष – 2008–09							
1	1/08–09	नारायणपुर मुहल्ला में श्री ललन सिंह के घर से लक्ष्मण राय के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण	3,67,300	194,652	194652/दिनांक 06.10.08	अधुरा	श्री एस0के0 श्रीवास्तव, क0अ0
2	2/„	थाना के द0पू0 कोना से विनोद कुमार के आवास होते हुए सुग्रीव प्रसाद के मकान तक नाला निर्माण	4,16,800	4,10,352	4,16,800/दिनांक 14.10.08	पूर्ण	„
3	3/„	वार्ड न0 20 में पुरानी गुमटी अनुसूचित कालोनी में पथ एवं नाला निर्माण	1,03,500	50,000	–	अपूर्ण	„
वर्ष – 2009–10 कोई योजना नहीं							

लेखा परीक्षा टिप्पणी:–

(i) योजना का कियान्वयन विभागीय कराया जाना:– विभागीय पत्रांक 356 दि0 22.01.08 में स्पष्ट है कि नगर निकाय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से किया जाना है, परन्तु नगर परिषद, छपरा द्वारा द्वादश वित आयोग अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में योजना का कार्यान्वयन विभागीय कराया गया जो सरकारी दिशानिर्देश का उल्लंघन था।

(ii) वर्ष 2008–09 में ली गई 3 योजनाओं में से 1 योजना पूर्ण थी तथा दूसरी योजना (1/08–09 एव 3/08–09) अपूर्ण/ अधुरी थी जिस पर ₹1,94,652 व्यय हो चुका था। दि0 06.10.08 से कार्य अपूर्ण पड़ा था। शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु क्या प्रयास किया गया अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

15. कर मूल्यांकन का पुनरीक्षण नहीं :–

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में कर का मूल्याकन करने का प्रावधान है। लेकिन कर का मूल्यांकन नगर परिषद छपरा द्वारा वर्ष 1980–81 के बाद से ही नही किया गया था। कर के मूल्यांकन का पुनरीक्षण न होने के कारण नगर परिषद को राजस्व की हानि हो रही है।

पुन: बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, की धारा 127 की उपधारा 4 (i) के आलोक में नगरपालिका क्षेत्र में होल्डिंगो का वर्गीकरण नगरपालिका द्वारा मानदेय का निर्धारण होल्डिंगो की स्थिति के आधार पर किया जाने का प्रावधान है। उपधारा 5 के अनुसार होल्डिंगों की [illegible] वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप के

रूप में संगणित की जायेगी। सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध है कि कर के मूल्यांकन का पुनरीक्षण नये नियमानुसार अविलम्ब कराया जाय ताकि नगरपरिषद को राजस्व की हानि से बचाया जा सके।

16. **संगृहीत राशि का गबन :–**

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 15 के अनुसार सभी प्राप्त राशि को रोकड़पाल द्वारा रोकड़पाल रोकड़ बही में तुरन्त प्रविष्टि करना चाहिए था एवं नियम 22 के अनुसार सभी प्राप्त राशि को यथासम्भव अविलम्ब कोषागार में जमा करने का प्रावधान है। कर संग्राहकों की दैनिक वसूली पंजी का मिलान रोकड़पाल की रोकड़ बही से करने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री भानुप्रताप सिंह रोकड़पाल द्वारा विभिन्न संग्रहकर्त्ताओं से प्राप्त एवं स्वयं द्वारा संग्रहीत कुल राशि ₹7,22,351.80 को नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया। उसी प्रकार श्री मसूद हसन आरीफ तत्कालीन प्रभारी रोकड़पाल द्वारा कुल संग्रहीत राशि ₹2,34,541.40 को नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – II पर)

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम 20 के आलोक में उपाध्यक्ष या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार रोकड़पाल बही से पास बुक का मिलान/ जॉच करना चाहिए था। ताकि यह पता चल सके कि सभी प्राप्त राशि नगर परिषद निधि में जमा हो गई है। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी या उपाध्यक्ष द्वारा रोकड़ बही की जांच नहीं की गयी थी और न ही रोकड़ बही की जांच दैनिक संग्रह पंजियों से की गयी थी अतः निर्धारित जांच की प्रकिया न आपनाये जाने के कारण कुल ₹ 10,16,893.20 श्री मसूद हसन अरीफ एवं श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा नगर परिषद निधि मे न जमा कर इसका दुरूपयोग किया गया। नहीं जमा राशि (Non credit)के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा को पत्रांक 22/एम0के0 दिनांक 17.03.11 एवं पत्रांक 31/एम0के0 दिनांक 18.03.11 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया था।

नगर परिषद के अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि उपरोक्त नहीं जमा राशि ₹ 10,16,893 की अविलम्ब वसूली हेतु ठोस कदम उठायें जाय तथा की गई कारवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

17. **नहीं जमा राशि/ कम जमा राशि :–**

अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि विभिन्न कर संग्रहकर्त्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा ₹5309.35 संग्रहीत किया गया था जिसमें से ₹3478.15 जमा किया गया तथा शेष राशि ₹1831.20 कम जमा किया गया था। अंकेक्षण में आपत्ति होने के उपरांत ₹1791 जमा कर दिया गया था शेष राशि ₹40.00 जमा नहीं किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:–

क0 सं0	रसीद सं0 एवं तिथि	संग्रहीत राशि (₹)	जमा की गयी राशि (₹)	कम जमा (₹)	अंकेक्षण के कम में जमा की गयी राशि (₹)	जमा का विवरण	कर्मचारी का नाम
1	29418/27.12.08	94.15	49.15	45.00			श्री रामबाबू प्रसाद
2	29491/21.01.09	279.60	–	279.60			
3	29500/25.01.09	41.60	–	41.60			
4	32165/18.07.09	274.00	270	4.00			
			कुल –	370.20	370	MR No. 7166/25.03.11	

178

5	28400 / 16.12.08	348	308	–	40	–	श्री उदय शंकर प्रसाद
6	31903 / 15.07.09	119	–	119	119	7175 / 25.03.11	श्री मधुसूदन श्रीवास्तव
7	बाजार रसीद सं0 15032 / 30.08.08	948	–	316	632		
8	15647 / 05.03.09	975	–	925	50		
9	15961 / 29.05.09	1650	–	1320	330		श्री राम बाबू प्रसाद
10	16641 / 30.10.09	580	290	290		1302–7167 / 25.03.11	
	कुल –	5309.35	347.15	–	1831.20 या 1831.00	1791	

₹ 40 श्री उदय शंकर प्रसाद प्रभारी कर दारोगा से वसूली की जाय।

18. **चेक एवं ड्राफ्ट की राशि का नकदीकरण नहीं :–**

अंकेक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री मधुसूदन प्रसाद श्रीवास्तव, लेखापाल द्वारा विभिन्न मद में ड्राफ्ट एवं चेक द्वारा कुल ₹ 3,43,157 प्राप्त किया गया था। लेकिन प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट / चेक की राशि की प्रविष्टि लेखापाल रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया था। रोकड़ बही मे अप्रील 10 से प्राप्ति पक्ष नही लिखा गया गया था। ड्राफ्ट / चेक से संबंधित चालानों को भी अंकेक्षण मे प्रस्तुत नही किया गया था।

स्पष्ट है कि ₹ 3,43,157 का ड्राफ्ट / चेक की राशियों का नकदीकरण नही किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है –

क्र0 सं0	ड्राफ्ट / चेक सं0 एवं तिथि	राशि (₹ मे)	कहाँ से प्राप्त हुआ
1	ड्राफ्ट 394430 दिनांक 19.02.10	62000	W.T.T.I.L (Total (Tata Indicom) महाराजा कामपलेक्स फ्रेजर रोड पटना मोबाइल टावर हेतु
2	ड्राफ्ट 394431 दिनांक 15.02.10	62000	– तथैव –
3	ड्राफ्ट 358967 दिनांक 27.01.10	62000	– तथैव –
4	ड्राफ्ट 446537 दिनांक 12.03.10	62000	– तथैव –
5	चेक सं0 463359 दिनांक 19.03.10	77863.00	एस0पी0 कार्यालय, आवास एवं कार्यालय एच0 फर्म निर्गत 31907 / 26.03.10
6	चेक सं0 222153 दिनांक 31.03.10	14794.00	सिविल कोर्ट छपरा एच फर्म निर्गत 31908 / 08.05.10
7	ड्राफ्ट सं0 004083 दिनांक 03.02.09	500.00	श्री सुनील कुमार, वास्तुविद निबंधन हेतु वर्ष 2009–10
8	ड्राफ्ट सं0 142378 दिनांक 03.02.09	500.00	श्री मनोज कुमार, वास्तुविद निबंधन हेतु
9	ड्राफ्ट सं0 690277 दिनांक 27.01.09	500.00	श्री अमित रंजन, वास्तुविद निबंधन हेतु
10	ड्राफ्ट सं0 750667 दिनांक 04.02.09	500.00	श्री श्याम प्रसाद, वास्तुविद निबंधन हेतु
11	ड्राफ्ट सं0 482283दिनांक 27.01.09	500.00	अप्लेश नंदन सुपातक, वास्तुविद निबंधन हेतु
	कुल राशि –	**3,43,157**	

उपरोक्त ड्राफ्ट/चेक को री भैलिडेट करवा कर नकदीकरण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय एवं श्री मधुसूदन प्रसाद श्रीवास्तव लेखापाल से इस सम्बध में स्पष्टीकरण पुछा जाय।

19. विविध रसीद अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं :–

विविध रसीद संख्या 14801 से 14900 दिनांक 20.06.08 को श्री मधु सूदन श्रीवास्तव लेखापाल को निर्गत किया गया था, जिसे जॉच हेतु अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया। उपरोक्त विविध रसीद का अंकेक्षण में उपस्थापित न किया जाना एक गंभीर मामला है। अतः यह इंकार नहीं किया जा सकता है कि उनके द्वारा संग्रहीत राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं की गयी होगी।

अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि उक्त रसीद के द्वारा संग्रहीत राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाय एवं उसे अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

20. सरकारी भवनों पर बकाया गृह करः–

नगर परिषद द्वारा बकाया गृह कर आदि की सूची तैयार नहीं की गयी थी। मांग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं किया गया था। मांग एवं वसूली के अभाव में संगृहीत की जा रही राशि की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। बिहार नगर पालिका (कर वसूली) नियमावली 10 एवं 11 के अनुसार मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जाय।

नगर परिषद द्वारा समर्पित बकाया गृह कर आदि के विवरणी से ज्ञात होता है कि दि0 26.03.11 तक ₹ 22,22,202.00 सरकारी भवनों के विरूद्ध गृह कर आदि बकाया था। सरकारी भवनों के गृह कर आदि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा संबंधित विभागों से कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। अतः नगर परिषद के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि ₹ 22,22,202 की वसूली हेतु संबंधित विभागों से विधिवत कार्रवाई करें।

(परिशिष्ट III में वर्णित)

21. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर को राज्यकीय कोष में जमा नहीं :–

राज्य सरकार के निदेशानुसार नगरपालिका एवं नगर निगम को गृह कर पर शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर निर्धारित दर से वसूल करना है। 10 प्रतिशत सेवा प्रभार की कटौती कर शेष राशि राज्य सरकार के संचित निधि से संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करना था। लेकिन अंकेक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि नगर परिषद द्वारा शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर संगृहीत किया गया लेकिन नियमानुसार उसे संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया गया थाि। नगर परिषद द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। लेखापाल रोकड़ बही के आधार पर वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की संगृहीत राशि की गणना निम्न थी –

क्र0 सं0	वर्ष	शिक्षा उपकर (₹ में)	स्वास्थ्य उपकर (₹ में)
1	2008–09	2,76,822.69	2,76,822.69
2	2009–10	2,69,029.63	2,69,029.63
	योग	**5,45,852.32**	**5,45,852.32**
	10 प्रति सेवा प्रभार (–)	**54,585.23**	**54,585.23**
	राज्यकीय कोष में जमा करने वाली राशि	**4,91,267.09**	**4,91,267.09**

(176)

अतः शिक्षा उपकर के रूप में ₹ 4,91,267.09 एवं स्वास्थय उपकर के रूप में ₹491,267.09 को राज्य सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में अविलम्ब जमा कराया जाय।

22. **सुलभ शौचालय को पट्टा पर देना :–**

पाँच सुलभ शौचालय यथा (1) सरकारी बस स्टैण्ड (2) नगरपालिका (3) हास्पीटल कैम्पस (4) गांधी चौक (5) दहियावा का सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आरगेनाइजेशन, पटना के साथ 01.08.2008 में ₹ 25000 प्रति वर्ष पर एकरारनामा पट्टा (Lease) किया गया था।

एकारनामा कार्यपालक पदाधिकारी एवं अवैतनिक चेयरमैन सुलभ इन्टरनेशनल सोसल सर्विस औरगेनाइजेशन बिहार शाखा (Hony. Sulabh International Social Service Organisation, Bihar Branch) के साथ हुआ था।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 104 की उपधारा 'क' के आलोक में सशक्त स्थायी समिति चल सम्पति या अचल सम्पति को पट्टा पर या किराये पर दे सकती है। परन्तु कार्यवृत पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इससे यह ज्ञात न हो सका कि सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन था या नही।

संबंधित संविदा उपलब्ध न होने के कारण सुलभ शौचालयों का एकरारनामा मात्र 2500/– रूपये में किया गया, एवं इसके औचित्य का जाँच अंकेक्षण में नहीं किया जा सका।

पुनः वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 से संवद्ध एकरानामा की राशि ₹ 50,000 (25000 x2) का नगर परिषद निधि में जमा से संबद्ध कागजात अंकेक्षण में नही दिखाया गया। इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

23. **योजना की स्थिति :–**

नगर परिषद छपरा द्वारा समर्पित विवरणी के आधार पर योजना की स्थिति निम्नवत् है–

क0 सं0	मद का नाम	योजना कियान्वित की संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	अभ्युक्ति
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 2008–09	7	7		
2	राष्ट्रीय गंदीबस्ती विकास कार्यक्रम (एन0एल0डी0पी0 2008–09)	7	6	1	
3	विधान पार्षद अनुशंसित अनुदान 9/10	1	1		7 वापाकल गाड़ना
4	विधायक अनुशंसित अनुदान 9/10	1	1		88 वापाकल गाड़ना था जिसमें 70 वापाकल गाडा गया।
5	12 वी वित्त आयोग 8/9	3	2	1	
6	एकादश वित्त आयोग	1	1		
7	सरकारी अनुदान 2007–08	9	6	3	

(परिशिष्ट IV के (I से VII) में संदर्भित)

अंकेक्षण टिप्पणी :–

(i) एन0एल0डी0पी0 के तहत योजना संख्या 5/08–09 (सड़क एवं नाला निर्माण) जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 4,13,900 थी। कार्य का कियान्वित श्री एस0 के0 श्रीवास्तव कनीय अभियन्ता द्वारा किया गया था। मापी के अनुसार कृत

कार्य का मूल्य ₹ 2,03,576 हुआ था जिसके एवज में ₹ 2,03,576 का भुगतान किया गया था। कार्य विवादित स्थल होने के कारण अधुरा पड़ा हुआ था। विवादित स्थल का निराकरण कर कार्य अविलम्ब शुरू किया जाय अन्यथा ₹ 2,03,576 का व्यय निष्फल हो जायेगा।

(ii) 12 वीं वित्त आयोग अनुदान के तहत योजना संख्या 3/08–09 जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 1,03,500 थी, इस प्राक्कलित राशि के एवज में ₹ 50,000 श्री एस0 के0 श्रीवास्तव को दिया गया था। लेकिन विवरणी से विदित होता है कि योजना का कियान्वयन नहीं किया गया था। अतः ₹ 50,000 श्री एल0 के0 श्रीवास्तव कनीय अभियंता से वसूली जाय।

(iii) सरकारी अनुदान के तहत योजना संख्या 7/07–08 की प्राक्कलित राशि ₹ 18,75,800 रू0 था। मापी के अनुसार कृत कार्य का मूल्यांकन ₹ 1,54,055 मात्र ही था जिसके एवज में ₹ 2,36,555 का अग्रिम भुगतान श्री एस0 के0 श्रीवास्तव कनीय अभियंता को किया गया था अतः ₹ 82,500 की वसूली अभिकर्त्ता से की जाय। पुनः वर्ष 2007–08 में ली गई योजना के अभी तक पूर्ण न किये जाने के कारण किया गया कार्य पर व्यय ₹ 154055 की भी व्यर्थ होने की संभावना है। सक्षम अधिकारी इस कार्य का आकलन कर आवश्यक कारवाई की जाय। यो0 सं0 5/07–08 एवं 6/07–08 को अभी तक पूर्ण नहीं किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। इसे पूर्ण करवाने हेतु ठोस कदम उठाये जाये।

(iv) बिहार सरकार के ज्ञापांक पत्रांक 5 न विधि –21–15/07–न0 वि0वि0 पटना एंव ज्ञापांक 356/ न0वि0एवं आ0वि0 पटना दिनांक 22.01.08 के आलोक में दिनांक 22.01.08 के बाद नहीं कराना था। लेकिन अंकेक्षण में पाया गया है कि वर्ष 2008–09 में विभागीय कार्य कराया गया था जो कि सरकार के निदेश का उल्लंघन था किन परिस्थिति में विभागीय आदेश का उल्लेघन किया गया अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

24. राष्ट्रीय गंदी वस्ती विकास कार्यकम योजना से सी0एफ0एल0/ मैपर लाईट लगानाः–

पत्रांक 571 दिनांक 12.09.09 के द्वारा सी0एफ0एल0 लाइट लगाने हेतु निविदा आमंत्रित किया गया था जिसमें तीन निविदाए प्राप्त हुए थे। ज्योति इलेक्ट्रीक छपरा का दर न्यूनतम था। जिसे स्थायी समिति नगर परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रति कम्पलीट सेट ₹ 1530 दर था। ज्योति इलेक्ट्रीक को किये गये भुगतान निम्नवत् है।

क्रमांक	सी0एफ0एल0	संख्या	दावा	भुगतान	चेक सं0 एवं तिथि
1	सी0एफ0एल0	370	5,66,100	500,000	663141 दिनांक 22.10.09
2	सी0एफ0एल0	110	1,68,300	1,68,300	663143 दिनांक 08.12.09

अंकेक्षण टिप्पणी :–

जिन क्षेत्रों में सी0 एफ0 एल बल्ब लगाये गये थे वे गंदी बस्ती के अंतर्गत थे या नहीं यह अंकेक्षण में ज्ञात नही हो सका था। स्थल के चयन से सम्बद्ध कागजात अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं न किया जाय।

अतः नगर परिषद के प्राधिकारी से अनुरोध है कि सी0 एफ0 एल लगाये गये स्थानों का सर्वेक्षण कर यह ज्ञात करें कि वह स्थान गंदी वास्वी से संबंधित था या नहीं। सर्वेक्षण लंबित रहने तक भुगतान की गयी राशि ₹ 6,68,300,00 रू को अंकेक्षण आपात्ति में रखी जाती है।

(174)

(ii) विपत्र से वैट की कटौती नही की गयी थीः–

द्वितीय वपत्र ₹ 168,300.00 भुगतान की गयी राशि ₹ 168300 रू0 वैट ₹6732

अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि वैट की कटौती किए बिना ही भुगतान कर दिया गया था। अतः वैट के रूप में रू0 6732/– की वसूली जिम्मेदार व्यक्ति से करने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय तथा संबद्ध सरकारी शीर्ष में जमा की जाय।

25 **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाः–**

सबसिडी का भुगतान :–

बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के एवज में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना निधि से सबसिडी का भुगतान बैंक को किया गया था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कमांक	चेक सं0 एवं तिथि	राशि ₹	बैंक का नाम
1	087799 / 30.03.10	11,43,750	ब्रान्च मैनेजर भगवान बाजार छपरा। बैंक का नाम अंकित नही था।
2	087496 / 6.02.10	6,62,510.00	ब्रान्च मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भगवान बाजार छपरा
	कुल रू0	18,06260.00	

बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की सूची अंकेक्षण मे नही दिखाया गया था। नगर परिषद किस आधार पर ₹ 18,06,260 रू0 बैंक को भुगतान किया यह ज्ञात न हो सका।

उपरोक्त भुगतान से संबंधित विस्तृत अभिश्रव अंकेक्षण मे भी उपलब्ध नही कराया गया था। इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। स्वीकृत ऋण की सूची एवं नगरपालिका का अभिश्रव अंकेक्षण मे लंबित रहने तक कुल भुगतान की राशि ₹ 18,06260 अंकेक्षण आपत्ती में रखी जाती है।

(ii) सचिव, जन विकास समिति, छपरा को यु0 एस0 ई0 पी0 ट्रेनिंग एवं डी0 डब्लु0सी0भी0ए0 टी0एन0सी0 समूह हेतु ₹ 800,000 अग्रिम के रूप में चेक संख्या 087494 दिनांक 10.06.09 द्वारा प्रदान किया गया लेकिन उनके द्वारा उपरोक्त राशि से संबंधित अभिश्रव नगर परिषद को समर्पित नहीं किया गया था। अग्रिम का समायोजन भी अभी तक लंबित था।

पुनः सचिव, जन विकास समिति को यु0एल0ई0पी0 के अंतर्गत ट्रेड ट्रेनिंग देने हेतु ₹ 2,25000 अग्रिम दिया गया था (चेक सं0 087492 दिनांक 22.06.08)। लेकिन सचिव, जन विकास समिति द्वारा अभिश्रव/ विपत्र को नगर परिषद में समर्पित नहीं किया गया था। अभिश्रव के अभाव मे यह ज्ञात न हो सका कि ट्रेनिंग का कार्यकम हुआ था या नहीं। अग्रिम राशि का समायोजन भी लंबित था।

अतः नगर परिषद के अधिकारी, सचिव, जन विकास समिति से उपरोक्त अग्रिम राशि के विरूद्धघ विपत्र/अभिश्रव प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्रवाई करें।

(iii) अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का अभाव

(173)

वर्ष 2009–10 में क0 मेजर सी0डी0एल0 छपरा को ₹ 29,26,200 का भुगतान किया गया था जिसका ब्यौरा निम्नवत है:–

क0 सं0	चेक सं0 एवं तिथि	राशि ₹	विवरण
1	087500/30.03.10	9,72,000	टी0एवं सी0 ग्रुप सदस्य को स्कील ट्रेनिंग
2	– तथैव –	12,40,200	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम माइको ईंटरप्राइजेज ट्रेनिंग
3	087497/11.02.10	2,10,000	टी0 एवं सी0 कार्य हेतु
		4,50,000	टी0 एवं सी0 रीमोभिंग फंड
4	087498/26.02.10	54,000	टी0 एवं सी0 कार्य हेतु
	कुल –	**29,26,200**	

उपरोक्त राशियों से संबंधित अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कन्भेनर सी0डी0एल0 छपरा से प्राप्त नहीं हुआ था। अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने तक कुल राशि ₹ 29,26,200 को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

(iv) चेक संख्या 087493 दिनांक 09.05.09 के द्वारा ₹ 3,75,000 का भुगतान सचिव, जन विकास समिति को दिया गया था। लेकिन इससे संबंधित अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद को सचिव, जन विकास समिति द्वारा नहीं दिया गया था।

अतः उपरोक्त राशि हेतु अभिश्रव/विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण लंबित रहने तक कुल राशि ₹ 3,75,000 को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

26. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :–

बिहार सरकार के पत्रांक 5ब/विविध–21–15/07 न0वि0वि0 पटना एवं ज्ञापांक – 356/न0वि0वि0 एवं आवास विभाग/ पटना दिनांक 22.01.08 के द्वारा योजनाओं का कियान्वयन निविदा से शुरू करने का निदेश दिया गया था। परन्तु अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत योजनाओं का कियान्वयन विभागीय शुरू किया गया था। 6 योजनाओं के कियान्वयन हेतु 19.50 लाख रूपया अग्रिम रूप में श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, कनीय अभियंता को दिया गया। उप निदेशक कल्याण सारण प्रमंडल, छपरा ने अपने पत्रांक 631 दिनांक 25.11.2008 के द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत नगर परिषद, छपरा के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विभागीय निदेश का उल्लंघन कर घटिया कार्य आदि हेतु नगर थाना कांड संख्या 261/2008 के तहत प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज करायी गयी थी, तथा कार्य को तदुपरान्त उपरोक्त रोक दिया गया। शेष कार्यो के कराने हेतु नगर परिषद छपरा ने चेक संख्या 0162602 दिनांक 14.03.09 द्वारा ₹ 73,37,357 कार्यपालक अभियंता ग्रामिण विकास कार्य प्रमंडल–2 छपरा को दिया था। जिनमें से ₹ 7,19,808 चेक संख्या 963087 दिनांक 20.07.09 के तहत नगर परिषद को लौटा दिया गया था। शेष ₹66,17,549 का व्यय संबंधित योजनाओं में दर्शाया गया था। श्रीवास्तव कनीय अभियंता द्वारा कुल अग्रिम राशि ₹ 19.50 लाख में से योजना सं0 4/08–09 एवं 6/08–09 हेतु लिए गए ₹3,00,000 दिया गया था लेकिन इनके योजनाओं का कियान्वयन न होने के कारण नगर परिषद को लौटा दिया गया जिसका वर्णन नीचे है:–

172

(i)	चेक सं0 864862 दिनांक 21.11.08	₹2,15,105.00
(ii)	चेक सं0 864874 दिनांक 14.03.09	₹84,895.00
	कुल – ₹	**3,00,000.00**

अतः श्री एस0के0 श्रीवास्तव कनीय अभियंता के द्वारा किये गये आंशिक कार्य के विरूद्ध ₹ 16,50,000 अग्रिम समायोजन हेतु लंबित है। प्राथमिकी की प्रतिलिपि एंव जांच प्रतिवेदन का प्रतिलिपि अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण योजना के विभागिय कियान्वयन की स्थिति स्पष्ट न हो सकी।

कार्यपालक अभियंता द्वारा ₹ 66,17,549 का व्यय छह योजनाओं के विरूद्ध किये गये थे जिसका अभिलेख, मापी पुस्त एवं मस्टर रौल अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः आपत्ति लंबित रहने तक कुल व्यय राशि ₹ 66,17,549 को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

27. योजना संख्या 4 / 07–08:–

योजना का नाम	कटहरी बाग, हनुमान मंदिर से कपिल देव सिंह के मकान तक नाला निर्माण एवं पी0सी0सी0 पथ का निर्माण।
प्राक्कलित राशि	₹ 27,37,000

तकनिकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता एन0आर0इ0पी0 छपरा द्वारा दिनांक 30.07.07 को प्रदान किया गया था। मापी पुस्त के अनुसार कृत कार्य का मूल्य ₹ 15,45,242.00 अभिकर्त्ता का नाम – श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, कनीय अभियंता भुगतान की गयी राशि का ब्यौरा निम्न है:–

प्रमाणक सं0 361 दिनांक 18.02.08	₹ 3,00,000.00
प्रमाणक सं0 26 दिनांक 03.05.08	₹ 4,00,000.00
प्रमाणक सं0 186 दिनांक 12.07.08	₹ 7,00,000.00
कुल –	₹ 14,00,000.00
घटाव लौटायी गयी राशि चेक सं0 864880 दि0 30.03.09	₹ 23,043.00
कुल –	₹ 13,76,957.00
भुगतान हेतु मान्य राशि (अभिश्रव के अनुसार)	₹14,78,000
वैट की राशि – 65827	
स्वामित्व की राशि ₹ 35216	₹ 1,01,043.00
कुल योग	**₹ 13,76,957**

अंकेक्षण टिप्पणी :–

(i) स्टोन मेटल पी0सी0सी0 कार्य हेतु 101.1M^3 की ढुलाई की गयी लेकिन रिक्त (Void) को घटाया नहीं गया था।

वास्तविक आयतन स्टोन मेटल	101.10 M^3 का 15% = 15.17 M^3
	101.10 M^3 –15.17 M^3 = 85.93 M^3

(171)

2.548 M^3 स्टोन मेटल से पी0सी0सी0 कार्य 2.832 M^3 होता है। अतः 85.93 M^3 = 2.832/2.548 x 85.93 = 95.50 M^3

मापी के अनुसार कार्य	122.27 M^3
गणना के अनुसार वास्तविक कार्य	95.50 M^3
कार्य अनुमान्य नहीं	26.77 M^3

अधिक भुगतान किया गया 26.77 M^3 @ ₹ 2337.60/ M^3 = ₹ 62577.55 अर्थात् = ₹ 62578

(ii) उसी प्रकार 165.07 M^3 स्टोन चिप्स की ढुलाई की गयी थी। लेकिन रिक्त (Void) की कटौती नहीं की गयी थी। रिक्त का आयतन = 165.07 M^3 का 7.41% = 12.23 M^3 वास्तविक आयतन स्टोन चिप्स = 165.07 (–) 12.23 = 152.84 M^3

2.548 M^3 स्टोन चिप्स से (1:2:4) पी0सी0सी0 = 2.832 M^3 अतः 152.84 M^3 स्टोन चिप्स से = 2.832/2.548 x 152.84 = 169.875 M^3 अर्थात् 169.88 M^3 मापी पुस्त में पी0सी0सी0 कार्य 183.40 M^3 दर्शाया गया था।

वास्तविक पी0सी0सी0 कार्य = 169.88

अधिक दर्शित = 13.51 M^3

अतः अधिक भुगतान 13.52 M^3 @ ₹2976.70 प्रति M^3 = ₹40,244.98 अर्थात ₹40245

(iii) खाली सिमेन्ट 2022 बोरा नगर परिषद को नहीं लौटाया गया था। अतः 2022 बोरा @ 2.75 रू0 की दर से 5560.50 रू0 होता है।

(iv) मापी पुस्त की राशि, अभिकर्त्ता द्वारा समर्पित अभिश्रवों की राशि एवं प्राक्कलन की राशि में जो न्युनतम हो, वही अभिकर्त्ता को देय होगा।

अभिश्रवों की राशि न्युन है – ₹ 15,21,790

(i)	पी0सी0सी0 कार्य में स्टोन मेटल का रिक्त (Void) न घटाने के कारण अधिक भुगतान	₹ 62578
(ii)	पी0सी0सी0 कार्य में स्टोन चिप्स में रिक्त (Void) न घटाने के कारण अधिक भुगतान	₹ 40,245
(iii)	सिमेन्ट का खाली बोरा की कीमत	₹ 5560.50
	कुल –	₹ 1,08,383.50
	मान्य राशि	₹ 14,13,406.50
	वैट एवं स्वामित्व की राशि	₹ 1,01,043.00
	कुल –	₹ 13,12,363.50
	भुगतान की गयी	₹ 13,76,957
	अनुमान्य	₹ 13,12,363.00
	अधिक भुगतान	₹ 64,594.00

₹ 64,594.00 को अभिकर्त्ता से वसूली जाय एवं वैट एवं स्वामित्य की राशि को संबंधित शीर्षो में जमा कर अगले अंकेक्षण मे दिखलाया जाय।

170

(v) सिमेंट एवं ईट में अंतर दर लिया गया लेकिन इसका प्रावधान प्राक्कलन में नहीं था।

सिमेन्ट 2022 बोरा (₹ 240 – ₹ 202.72)	₹ 37.28 प्रति बोरा
2022 X 37.28	₹ 75380.00
ईट 30,000 सं0 (₹ 2900 – ₹ 2229)	₹ 671/– प्रति हजार
₹ 30,000 X ₹ 671 रू0 प्रति हजार	₹ 20,130
कुल –	₹ 95510

अंतर दर (Difference of rate) की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से नहीं ली गयी थी। स्वीकृति लंबित रहने तक ₹ 95510 को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

28. योजना संख्या 8/2007–08:–

योजना का नाम	पी0डब्बलु0डी0 रोड कल्ब मोड़ से कटहरी बाग हनुमान मंदिर तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाली का निर्माण
स्वीकृत राशि	₹ 22,16,900
संशोधित प्राक्कलन	₹ 26,56,900

त्कनीकी स्वीकृत कार्यपालक अभियंता, एन0आर0इ0पी0 छपरा द्वारा दिनांक 30.07.07 को प्रदान किया गया था। मापी पुस्त के अनुसार कृत कार्य का मूल्य ₹ 23,01,321.00 अभिकर्त्ता द्वारा समर्पित अभिश्रवों की राशि – ₹ 22,84,710.00 अभिकर्त्ता का नाम :– श्री एस0 के श्रीवास्तव कनीय अभियन्ता। भुगतान की गयी राशि का व्यौा निम्नवत् है:–

अभिश्रव सं0 28 दिनांक 03.05.08	₹ 600,000.00
अभिश्रव सं0 137 दिनांक 02.07.08	₹ 900,000.00
अभिश्रव सं0 329 दिनांक 30.03.09	₹ 74,589.00
अभिश्रव सं0 365 दिनांक 18.02.08	₹ 5,00,000
कुल –	₹ 20,74,589
वैट की राशि	₹ 95,228
स्वामित्व की राशि	₹ 47,083
कुल –	₹ 22,16,900

अंकेक्षण टिप्पणी:–

(i) पी0सी0सी0 कार्य हेतु स्टोन मेटल एवं स्टोन चिप्स की खरीद एवं ढुलाई की गयी थी। स्टोन मेंटल 156.25 M^3 की ढुलाई की गयी थी। लेकिन रिक्त (Void) को नहीं घटाया गया था। 15 प्रतिशत रिक्त (Void) हेतु घटाना चाहिए था।

ढुलाई गयी स्टोन चिप्स	156.25 का 15 प्रतिशत = 23.44 M^3
स्टोन मेटल का वास्तविक आयतन	156.25 –23.44 = 132.81 M^3
पी0सी0सी0 (1:2:4) में 2.548 M^3 स्टोन मेटल	2.832 M^3 पी0सी0सी0
132.81 M^3 = 2.832/2.548 X 132.81	147.61 M^3
मापी के अनुसार	173.56 M^3
गणना के अनुसार	147.61 M^3
अधिक दर्शित	25.95 M^3
25.95 M^3 @ ₹2337.60 प्रति M^3 पी0सी0सी0 कार्य	₹ 60,660.72 अर्थात् ₹60,661 का अधिक भुगतान